

बल्कि घोषणा की कि एक बहुत बड़ा पैट्रो-कैमिकल कम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट बिहार में होगा। स्थान चयन बाद में होगा। 1980 से बिहार के संसद सदस्यगण एवं बिहार सरकार से बार-बार इस योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिये स्मारक-पत्र द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से अनुरोध करती आ रही है। परन्तु अभी 1982 के वर्ष का आधा से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी इस योजना के लिये न तो योजना में राशि आवंटित की गई है और न कोई ठोस कार्यवाही ही की जा रही है। इस योजना के प्रति विलम्ब एवं भारत सरकार की उदासीनता के कारण बरौनी, बेगूसराय एवं बिहार की जनता में क्षोभ व्याप्त है। अतः सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय ले।

(iv) ADEQUATE COMPENSATION BY D.D.A. TO LAND OWNER ON ACQUISITION OF THEIR LAND

श्री राम विलास पासवान (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोकहित से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों की ओर सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ :—डी. डी. ए. की घोषणा एवं नियमों के अनुसार जिन किसानों की कृषि योग्य भूमि अधिग्रहीत की जाती है उन किसानों को अधिग्रहीत भूमि के बदले रोजगार तथा प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों में आवासीय प्लॉट तथा कर्मशियल प्लॉट दिया जाता है। डी. डी. ए. ने कर्मशियल प्लॉट देना बिल्कुल बंद कर दिया है और यही हालत रोजगार की भी है।

रिहायशी प्लॉट जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन यह नो प्राफिट नो लास पर कतई आधारित नहीं हैं। किसानों को मुआवजा 75 पैसे प्रति वर्गगज से लेकर 5 या 7

रुपये प्रति वर्गगज विकास पर करीब 70 रुपये जोड़ कर दिया जाता था। यह राशि 1980 तक 75 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से दी गई। उन्हीं विकसित कालोनियों में 1980 में 192 रुपये प्रति वर्ग मीटर बसूल किया गया जब 1982 में इसकी दर एकाएक 358 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक पहुँच गई है जो सर्वथा अनैतिक एवं असंवैधानिक है। इसको लेकर किसानों में भारी रोष है।

किसानों की जमीन की कीमत 3 रुपये प्रति वर्ग गज और उसी को 358 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्राधिकरण द्वारा बेचा जा रहा है।

अतः सरकार से मांग है कि पुरानी विकसित दर 75 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ही किसानों को प्लॉट दिए जाएं।

(v) ALLEGED DENIAL OF ADMISSION BY DELHI UNIVERSITY TO STUDENTS OF BIHAR IN VIEW OF 10+2+3 SYSTEM.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : बिहार उड़ीसा, आसाम के छात्र सैकड़ों की संख्या में दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए चक्कर लगा रहे हैं पर उनका प्रवेश नहीं हो पा रहा है। वे परेशान हैं कि क्या करें।

बिहार के छात्रों ने बतलाया है कि केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रही है, जिन लोगों ने 10+2+3 की परीक्षा पास की है। बिहार में इस प्रकार की पढ़ाई अभी-अभी शुरू हुई है। अतः वहाँ के पहले के छात्र 10+2+3 की परीक्षा पास नहीं कर सकते थे। इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में इस प्रकार की शर्त लागू कर बिहार, उड़ीसा, आसाम आदि के छात्रों के साथ भारी अन्याय किया है। इस नीति के फलस्वरूप बिहार के अच्छे

[श्री रामावतार शास्त्री]

छात्रों का भविष्य बिगड़ जाएगा ; वे वांछित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

शिक्षा मंत्री जी से मेरा साग्रह अनुरोध होगा कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय के उच्चाधिकारियों से वार्ता कर ऐसी व्यवस्था करें कि बिहार, उड़ीसा, आसाम आदि राज्यों के सैकड़ों छात्रों को दिल्ली विश्व-विद्यालय में प्रवेश मिल सके और वे वांछित शिक्षा प्राप्त कर अपने देश और प्रदेश का मस्तक ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकें ।

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था और संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि इस विषय पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा । इस वक्त संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और शिक्षा मंत्री हैं । (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, फर्स्ट क्लास विद्यार्थी भी इस नई नीति के तहत प्रवेश पाने में समर्थ नहीं हैं । इसमें विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं है । विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है । (व्यवधान) बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों के तमाम लड़कों के भविष्य का यह मामला है । यह कोई अपोजीशन और सत्तारूढ़ दल का मामला नहीं है । भीष्म नारायण जी ने एश्योर किया था हाउस को इसके बारे में—

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is all right. Please sit down.
(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is 377. Paswanji, you give notice.
(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Dr. Karan Singh.
(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not record.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This 377. Everybody should function according to rules. Parliamentary procedure.....

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, I am very sorry. I do not allow. Mr. Paswan, as you know, this is only 377 and not.....

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Dr. Karan Singh, Mr. Paswan, please sit down.

(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not allowing him. This is not the way. Yes, Dr. Karan Singh. Please do not record other things.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have not completed 377.

(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not record anything. This is not the way. We cannot conduct deliberations like this. It should be in an orderly manner according to the rules. Now, this is 377. Dr. Karan Singh.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You give notice of this.

(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not permitting anything. You must give notice. Do not record what he says. Now, these are matters under Rule 377. Yes, Dr. Karan Singh.

श्री राम विलास पासवान : प्रोटेस्ट के तौर पर हम लोग बाक आउट करते हैं ।